

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया कुशीनगर।

परिवाद संख्या-9752/2023

गेना देवी बनाम उर्मिला आदि

थाना- कसया, जिला कुशीनगर ।

दिनांक:- 24/03/2026

पत्रावली पेश हुई। परिवादिनी अनुपस्थित । बार-बार पुकार कराये जाने पर भी न तो परिवादिनी उपस्थित आयी और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी की प्रस्तुत प्रकरण में कोई रुचि नहीं रह गयी है। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति में बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कसया, कुशीनगर।